रामलाल बनाम नन्दराम
प्र0सं0:— 60/2021 वाद
GCMS No - 2021/138

न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या — 60/2021 वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा0 का0 अधिनियम

GCMS No. - 2021/138

रामलाल पिता हेमराज मुतबन्ना घासी मीणा निवासी जलिया निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा।

बनाम

नन्दराम पिता श्री रामदेव मीणा निवासी जलिया तहसील निम्बाहेडा।

प्रार्थना पत्र धारा 11 दीवानी प्रक्रिया संहिता

:: आदेश::

दिनांकः— 06.11.2024

1. प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा ने दिनांक 18.03.2024 को आवेदन पत्र अन्तर्गत धार 11 दी0प्र0स का पेश किया जिसमें अंकित किया की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र जिस विषय वस्तु को लेकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है उसी विषय वस्तु को लेकर वादी द्वारा प्रतिवादी के विरुद्ध दिनांक 24/03/2008 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमांक 1 निम्बाहेडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण का सम्पूर्ण विचारण करने के पश्चात दिनांक 30/11/2017 को वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया गया था। वादी के द्वारा पुनः माननीय न्यायालय से उन तथ्यों को छिपाते हुए दिनांक 15/03/2021 को अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष प्राप्ति हेतु उसी विषय वस्तु को लेकर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जब कि विधी के प्रवधानों के तहत प्रतिवादी के विरुद्ध इसी विषय वस्तु को लेकर जिसका निर्णय पूर्व माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय निम्बाहेडा द्वारा निर्णित कर सव्यय खारिज किया जा चूका है। पुष्टि में पूर्ववर्ती प्रकरण के निर्णय दिनांक 30/11/2017 की प्रति प्रस्तुत है। धारा 11 दी.प्र.सं. के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सार्थतः विवाद्यक विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्ही पक्षकारों के बिच के या जिनसे व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती वाद में भी ऐसे न्यायालय में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है जो ऐसे पश्चातवर्ती वाद का उस वाद का जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है। विचारण करने के लिये सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है, और अन्तिम रुप से विनिश्चय किया जा चुका है। अतः श्रीमान से सादर निवेदन हैं कि वादी का वाद इसी स्तर पर सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

2.वादी के अधिक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार ओझा ने प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 दी0प्र0स0 का दिनांक 06.08.2024 को जवाब पेश किया जिसमें जवाब में अंकित किया कि आवेदन पत्र की चरण स० 1 का उत्तर यह कि इस चरण में वर्णित विषय वस्तु भूमि के बाबत पूर्व में वाद ए०डी.जे कोर्ट में पेश तथ्य स्वीकार नही उस प्रकरण में दावे व विषय वस्तु समान होने का तथ्य भी स्वीकार नही। इस दावे का वाद कारण अलग है इस दावे में घोषणात्मक डिकी चाही है जिसे राजस्व न्यायालय द्वारा दी जाना है। अतः यह कि दावा रेजूडीकेटा के सिद्धांत के अनुसार बाॅड बय लॉ होने का तथ्य अस्वीकार है जहा तक रेजूडीकेटा का तथ्य है यह बिन्दू मिक्स कॉशन लॉ एण्ड फैक्स है जो गवाह सबूत देने के बाद ही निर्णित होगा। इसलिये प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र धारा 11 दी0प्र0स का आवेदन पत्र मय खर्चा खारीज फरमाया जावें। ताईद में शपथ पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्ष की प्रार्थना पत्र धारा 11 दी0प्र0स पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया की आवेदन पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया जावे। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया है तथा निवेदन किया की प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 दी0प्र0स मय हर्जा खारिज किया जावें। हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। हमारे विनम्र मत में उक्त वाद माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1 निम्बाहेडा के मूल दिवानी वाद संख्या 21/2008 में वादग्रस्त आराजियात एवं समान पक्षकार के सम्बन्ध में वसीयत के आधार पर घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया जो माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण अस्वीकार कर खारिज किया गया। इन्ही आराजियात के सन्दर्भ में पुनः उसी वसीयत के आधार पर पुनः घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है जिसका निर्णय माननीय सिविल न्यायालय द्वारा दिनंका 30.11.2017 को किया जा चुका है इसलिए यह वाद यहा चलने योग्य नहीं है तथा प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 दी0प्र0स स्वीकार किया जाना तथा वादी का वाद निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 दी0प्र0स स्वीकार किया जाता है। वाद वादी निरस्त किया जाता है।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 13:38:06 IST
Reason: SelfAttested